14/डी॰ एल॰ ए॰ भागलपुर (विजयघाट कोशी पुल) – 09/13

बिहार सरकार
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
(भू–अर्जन निदेशालय)

अधिघोषणा

संख्या – 3115 /रा॰ दिनांक – 31-12-13

आर॰ चूँकि बिहार के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम परतापनगर थाना नं॰ 124 राजस्व थाना बिहपुर, अंचल नवगछिया, जिला भागलपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् विजय घाट के समीप कोशी नदी पर कुल 12 कि॰मी॰ लम्बाई में पहुँच पथ गाईड बाँध निर्माण कार्य एवं उच्च स्तरीय आर॰ सी॰ सी॰ पुल निर्माण हेतु सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वार अधिघोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम परतापनगर थाना नं॰ 124 के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप से कमोवेश बीधा X 3.01½ कठा X धूर X जो कृषि योग्य 3.01½ एकड़ भूमि है जो कुल 3.01½ एकड़ के बराबर होता है, जिसका खसरा संख्या निम्न प्रकार है –

पूर्ण खेसरा नं॰ 11844, 11845 तथा अंश खसरा नं॰ 11824, 11842, 11843, 11778, 11774, 11847, 11849 एवं 11850

उत्तर –	अंश खसरा नं॰ 11824, 11842, 11843 एवं 11778
पुरब –	अंश खसरा नं॰ 11778, 11774, 11847, 11849 एवं 11850
दक्षिण –	अंश खसरा नं॰ 11774, 11778, 11847, 11849, 11850 एवं सीमाना मौजा लुकमानपुर थाना नं॰ 29 है।
पश्चिम –	अंश खसरा नं॰ 11824, 11842, 11843 एवं सीमाना मौजा लुकमानपुर थाना नं॰ 29 है।

भूमि या भूमि के किसी खास भाग के नीचे पड़ने वाली कोयला, पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों के खानों की आवश्यकता नहीं है, किन्तु खानों एवं खनिजों के केवल वे भाग जिन्हें जिस कार्य के लिए भू–अर्जन की जा रही है, उसके निर्माण के लिए खोदना या उपभोग में लाना आवश्यक हो ले लिये जायेंगे।

यह अधिघोषणा भू–अर्जन अधिनियम 1,1894 एवं भू–अर्जन संशोधित अधिनियम 1984 की धारा 6 के उपबन्धों तथा संशोधित बिहार अधिनियम 11 सन् 1961 और अधिनियम 18,1885 की धारा 3 खण्ड 1 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है, जिसका इससे संबंध है।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के कार्यालय में देखा जा सकेगा।

समाहर्त्ता,
भागलपुर

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-
(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञाप सं0 – 14/डी0एल0ए0, भागलपुर (विजय घाट कोशी पुल)– 9/13 – 3115/रा0, दि0-31-12-13

प्रतिलिपि 1. तीन प्रतियां सी0 डी0 के साथ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार, पटना को दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 2. प्रभारी उप समाहर्त्ता, जिला गजट, भागलपुर को जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 5 प्रतियां जिला भू–अर्जन कार्यालय को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 3. समाहर्त्ता/जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि 4. आयुक्त, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि 5. आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/13

(नरोत्तम प्रसाद सिंह)
सरकार के अवर सचिव।